

क्रमांक 7A / ईआईएम.एस. / 2018
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल
ई मेल- ceproc.encwrdbpl@nic.in
फोन- 0755-2767635 / 2573438 फेक्स- 0755-2552406

दिनांक 14.09.2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता
समस्त अड्डा/विभाग यंत्री
समस्त कार्यपालन यंत्री
म. प्र. जल संसाधन विभाग
(वेबसाइट के माध्यम से)

विषय- Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2018-19 का लक्ष्य दर्ज किये जाने बाबत।

EIMS के Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई वर्ष 2018-19 का लक्ष्य दर्ज किया जाना है, इस बाबत जिन संभागों में इस वर्ष खरीफ की सिंचाई की गई है/प्रगति पर है, संबंधित कार्यपालन यंत्री, उपसंभागवार योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया दिनांक 20.09.2018 तक पूर्ण करें।

Irrigation Monitoring Module में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य दर्ज किये जाने हेतु Module दिनांक 17.09.2018 से 20.09.2018 तक open किया जा रहा है।

उपसंभागवार योजनाओं के लक्ष्य दर्ज किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

1. EIMS Portal में कार्यपालन यंत्री की आई.डी. से Login करें।
 2. Irrigation Monitoring Module पर Click करें।
 3. Set/Update Target पर Click करें।
 4. Sub Division, Select करें। अब Generate Button पर Click करने पर संबंधित Sub Division की योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी। इनका सत्यापन कर लें।
- संभव है कि-
1. कोई ऐसी योजना प्रदर्शित हो रही हो जो उस उपसंभाग में स्थित नहीं है, इस प्रकार कि योजना को उस उपसंभाग से हटाने हेतु webmanagermpwrdbpl@gmail.com पर मेल करें
 2. किसी योजना के उपसंभाग में परिवर्तन किया जाना हो।
 3. कोई ऐसी योजना हो जिसका नाम सूची में नहीं हो (नवीन/ आंशिक पूर्ण योजना) तो उसका नाम सूची में जुड़वाने के लिये, योजना की जानकारी संलग्न प्रपत्र-1 में भर कर webmanagermpwrdbpl@gmail.com पर मेल करें।


4. योजना के नाम के सामने खरीफ सिंचाई की Live Capacity, लक्ष्य 2018-19 एवं रिमार्क कालम होंगे जिनमें निम्नानुसार जानकारी दर्ज करें-
- 4.1 योजना की Live Capacity (In MCum), में भरें।
- 4.2 योजना से की जाने वाली खरीफ सिंचाई का लक्ष्य भरें।
- 4.3 उपसंभाग की जिस योजना से खरीफ सिंचाई नहीं हो रही हो उसमें लक्ष्य शून्य भरें, किन्तु लक्ष्य शून्य होने का कारण रिमार्क कालम में अवश्य दें।

समीक्षा बैठकों के पश्चात दर्ज किये गये लक्ष्यों को आवश्यक होने पर संशोधित किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री, खरीफ सिंचाई हेतु लक्ष्य, Module में दर्ज करना, तय समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री सुनिश्चित करें कि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि 20.09.2018 तक खरीफ सिंचाई लक्ष्य की जानकारी कार्यपालन यंत्री दर्ज कर लें।

मॉड्यूल के संबंध में किसी यदि किसी तरह की कठिनाई / तकनीकी समस्या होने पर मोबाईल नं 9893219413 पर अथवा ईमेल webmanagermpwrd@gmail.com पर संपर्क करें।

Note:- कार्यपालन यंत्री द्वारा योजनाओं का लक्ष्य दर्ज करने के पश्चात ही अनुविभागीय अधिकारी खरीफ सिंचाई की जानकारी Module में दर्ज कर सकेंगे, अन्यथा नहीं।


(श्रीश्री मिश्रा)
मुख्य अभियंता (प्रो.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक 0070/ई.आई.एम.एस./भोपाल/2018/

दिनांक 14.09.2018

1. श्री कमलेश रायकवार, वेबमेनेजर एवं ई.आई.एम.एस. प्रभारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(श्रीश्री मिश्रा)
मुख्य अभियंता (प्रो.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल

प्रपत्र-1

कोई योजना छूट गई हो या नवीन पूर्ण/आंशिकपूर्ण योजना का नाम माड्यूल में सम्मिलित करने के लिये न्यूनतम विवरण।

S No	Name of Sub Division	Name of Scheme	Type (tank/Berrege/weir/LIS etc.)	Category (Major, Medium, Minor)	CCA	Design In (Rabi/kharif)	Live capacity at FRL (in case of tank)	Remark